प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

10 अगस्त, 2023
नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखों पर प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 21 - संघ सरकार – वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के लेखों पर संसद में प्रस्तुत।

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखा और विनियोग लेखा शामिल हैं। संघ सरकार विनियोग लेखे संसद द्वारा अधिकृत आवंटन के साथ व्यय की तुलना करते हैं और दोनों के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) भारत की समेकित निधि (सीएफआई), आकस्मिक निधि और लोक लेखा से प्राप्तियों और भुगतान को दर्शाते हैं। सीएफआई में प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त सभी निधि शामिल होती हैं। सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जिसकी सरकार एक ट्रस्टी है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है । आकस्मिक निधि तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी गई अग्रिम राशि के रूप में है।

वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों (सिविल) की समीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं - ऋण प्राप्तियाँ, गैर-ऋण प्राप्तियाँ और लोक लेखा में प्राप्तियाँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ सरकार ने ₹148.95 लाख करोड़ जुटाए, जिसमें से 55 *प्रतिशत* सकल ऋण प्राप्तियों (₹82.49 लाख करोड़) के माध्यम से, 23 *प्रतिशत* सकल गैर-ऋण प्राप्तियों (₹33.74 लाख करोड़) के माध्यम से और शेष 22 *प्रतिशत* लोक लेखा में सकल प्राप्तियों के माध्यम से *(₹32.37 लाख करोड़)* जुटाए गए। सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर प्राप्तियाँ (₹27.09 लाख करोड़) और गैर-कर प्राप्तियाँ (₹6.25 लाख करोड़) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹4.79 लाख करोड़ का उपकर संग्रह सकल कर राजस्व का 18 *प्रतिशत* था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में ऋण प्राप्तियों में 26 *प्रतिशत की वृद्धि हुई।*

वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने ₹148.93 लाख करोड़ का उपयोग किया, जिसमें से 45 *प्रतिशत* (₹66.45 लाख करोड़) लोक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए था, 21 *प्रतिशत* (₹30.81 लाख करोड़) लोक लेखा पर देनदारियों के निर्वहन के लिए था, 28 *प्रतिशत* (₹42.38 लाख करोड़) व्यय के लिए और शेष 6 *प्रतिशत* (₹8.98 लाख करोड़) केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर था। वित्तीय वर्ष *2021-22 में, संघ का कुल व्यय (*₹42.38 लाख करोड़) *पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत* बढ़ गया, जिसमें ₹34.68 लाख करोड़ का राजस्व व्यय, *₹5.38 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय और* ₹2.32 लाख करोड़ के ऋण और अग्रिम शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, आर्थिक सेवाओं पर अधिक व्यय (₹1.81 लाख करोड़) के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय में 57 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई ।

सरकार, सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक संचालन, विभिन्न सेवाओं, वेतन, अपने ऋण पर ब्याज के भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए राजस्व व्यय करती है। पिछले वर्ष की तुलना में ₹8.28 लाख करोड़ के ब्याज भुगतान में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई और राजस्व व्यय **(₹34.68 लाख करोड़)** का सबसे बड़ा एकल घटक **था** । सब्सिडी पर व्यय *(*₹5.02 लाख करोड़*) में* पिछले वर्ष की तुलना में 33 *प्रतिशत* की कमी देखी गई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में 15 *प्रतिशत* बढ़कर ₹2.40 लाख करोड़ हो गया।

आरक्षित निधियों को बजटीय सहायता और/या अनुदान, योगदान, उपकर, या लेवी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और समेकित निधि में एकत्र किया जाता है और लोक लेखा में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाता है। निर्दिष्ट आरक्षित निधि में उपकर/लेवी की एकत्रित राशि के कम/गैर-हस्तांतरण (वर्ष के दौरान एकत्र किए गए यूएएल का यूएसओ फंड में ₹2,076 करोड़ का कम हस्तांतरण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में ₹1,516 करोड़ का कम हस्तांतरण), आरक्षित निधियों का न खोला जाना/ गैर-परिचालन (मस्क और पीएमएसएसएन अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप न देने के कारण परिचालन में नहीं आए), बिना किसी लेनदेन के निष्क्रिय आरक्षित निधियां और अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन आदि के उदाहरण थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए में अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण करने के लिए कुल 258 फुटनोट शामिल किए गए थे। चूंकि इन फुटनोट्स के माध्यम से वित्त का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं हो पाया, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए में 'नोट्स टू अकाउंट्स' को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 101 मांगों वाले विनियोग खातों में ₹124.36 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है । ₹7.64 लाख करोड़ की कुल बचत के साथ, कुल व्यय ₹116.71 लाख करोड़ हुआ। वित्तीय वर्ष

2021-22 के दौरान संसदीय प्राधिकरण द्वारा संस्वीकृत राशि के अतिरिक्त ₹1.23 हजार करोड़ का व्यय हुआ, जिसमें तीन अनुदान शामिल थे, अनुदान संख्या 39-पेंशन (₹742.57 करोड़), अनुदान संख्या 6-उर्वरक विभाग (₹493.38 करोड़) और अनुदान संख्या 18-रक्षा मंत्रालय (सिविल) (₹0.03 करोड़)।

बत्तीस विभागों/मंत्रालयों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 1975-76 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी सहायता अनुदान से संबंधित कुल ₹52 हजार करोड़ के 42,854 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 31 मार्च 2022 तक बकाया थे।

SS/TT/73-23